

मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतिरिक्त प्रश्न सं. 1723
10.03.2025 को उत्तर के लिए

कोयला खनन से होने वाला वायु प्रदूषण

1723. श्री मनीष जायसवाल :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

झारखण्ड राज्य में कोयला खनन से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने कोयले के खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त करना अनिवार्य किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना प्रस्तावक/खान के स्वामी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन करने और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने सहित खनन कार्यकलापों के लिए प्राप्त की जाने वाली पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला खदानों के संबंध में पर्यावरणीय मानक अधिसूचित किए हैं, जिसकी प्रति संलग्नक 1 के रूप में दी गई है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को कोयला खान कार्यकलापों सहित औद्योगिक कार्यकलापों को विनियमित करने तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित करने हेतु सहमति और प्रचालन हेतु सहमति प्रदान करके पर्यावरणीय मानकों के प्रवर्तन हेतु अधिकार संपन्न बनाया गया है। इन अधिनियमों में पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन न करने पर कारण बताओ नेटिस/बंद करने संबंधी उपबंधों के साथ-साथ यथा लागू पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की निगरानी संबंधी उपबंध शामिल हैं।

पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) और सहमति की शर्तों के अनुपालन में धूल दमनकारी प्रौद्योगिकियां, जल छिड़काव, हरित पट्टी के विकास आदि जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, कोयला खान परियोजनाओं के लिए परियोजना क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की सतत निगरानी हेतु सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (सीएएक्यूएमएस) संस्थापित किए जाने भी अपेक्षित हैं।

¹[90. कोयला खानों के लिए मानक]

1. वायु क्वालिटी मानक

निम्नलिखित धूल उत्पादक स्रोतों से 500 मीटर की दूरी पर प्रबल हवा की दशा पर विचार करते हुए नीचे की और हवा की दिशा में निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस.पी.एम.), अन्तः श्वसनीय कणिकीय पदार्थ (आर.पी.एम.), सल्फर डाईआक्साइड (एसओ₂) और नाइट्रोजेन आक्साइड (एनओ₂) का संकेन्द्रण नीचे दी गई सारणी-I, और II, और III में विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक नहीं होगा।

धूल उत्पादन के स्रोत

लदाई या उत्तराई, कर्पण सड़क, कोयला परिवहन सड़क, कोयला हथालने का संयंत्र (सी.एच.पी.) रेल सरकवां, विस्फोट, छेदन अधिक ऊंचे ढेर या कोई अन्य धूल उत्पादन के बाहरी स्रोत जैसे कोक भट्टी (कठोर तथा मुलायम), इष्टिका उद्योग, पास की सड़क आदि।

सारणी-I

प्रवर्ग	प्रदूषक	समय के हिसाब से औसत	परिवेशी वायु में संकेन्द्रण	माप की विधि
1	2	3	4	5
I नई कोयला खाने (ऐसी कोयला खाने जिनमें इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् प्रचालन प्रारंभ किया है)	निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस पी एम)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	360 माइक्रो ग्रा./मी ³ 500 माइक्रो ग्राम/मी ³	उच्च प्रबलता प्रतिचयन (औसत बहाव दर 1.01 मी ³ मिनट से कम नहीं होगा)
	अन्तः श्वसनीय कणिकीय पदार्थ (10 म्यू/मी से कम आकार के) (आर पी एम)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	180 माइक्रो ग्रा./मी ³ 250 माइक्रो ग्रा./मी ³	अन्तः श्वसनीय कणिकीय पदार्थ प्रतिचयन और विश्लेषण
	सल्फर डाईआक्साइड (एस ओ ₂)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	80 माइक्रो ग्रा./मी ³ 120 माइक्रो/मी ³	1. उन्नत पश्चिमी और गैड़िके विधि 2. पराबैंगनी प्रतिदीप्ति
	नाइट्रोजेन आक्साइड (एन ओ ₂)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	80 माइक्रो ग्रा./मी ³ 120 माइक्रो ग्रा./मी ³	1. जैकब और होवीजर उपांतरित (ना-आर्सेनिक) विधि 2. गैस प्रावस्था की रसायनिक संदीप्ति

¹ क्र. सं. 90 से 93 तक की और तत्संबंधी प्रविष्टियां, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 742(अ), तारीख 25.09.2000 द्वारा अधिसूचित पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 के नियम 2(1) द्वारा अंतःस्थापित की गई थीं।

सारणी-II

प्रवर्ग	प्रदूषक	समय के हिसाब से औसत	परिवेशी वायु में संकेन्द्रण	माप की विधि
1	2	3	4	5
II नीचे दिए गए विद्यमान कोयला क्षेत्र/खाने :- करणपुरा, रामगढ़, गिरिडीह, राजहारा बराधा, नागपुर, सिलेबाड़ा, पैंच, कान्हों, पाथर खेड़ा, उमरेर, कोरवा, चिरीमिरी, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, (जिनके अंतर्गत बैकुण्डपुर, विश्रामपुर भी हैं), सिंगरौली, इब-घाटी और कोई अन्य	निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस पी एम)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	430 माइक्रो ग्रा./मी ³ 600 माइक्रो ग्रा.म/मी ³	- उच्च प्रबलता प्रतिचयन (औसत बहाव दर 1.1 मी ³ /मिनट से कम नहीं होगा)
	अन्तःश्वसनीय कणिकीय पदार्थ (10 म्यू/मी से कम आकार के) (आर पी एम)	वार्षिक औसत * 24 घंटे**	215 माइक्रो ग्रा./मी ³ 300 माइक्रो ग्रा./मी ³	अन्तःश्वसनीय कणिकीय पदार्थ प्रतिचयन और विश्लेषण
	सल्फर डाईआक्साइड (एस ओ ₂)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	80 माइक्रो ग्रा./मी ³ 120 माइक्रो ग्रा./मी ³	1. उन्नत पश्चिमी और गैइके विधि 2. पराबैंगनी प्रतिदीप्ति
	नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ ₂)	वार्षिक औसत * 24 घंटे**	80 माइक्रो./मी ³ 120 माइक्रो ग्रा./मी ³	1. जैकव और होवीजर उपांतरित (ना-आर्सेनिक) विधि 2. गैस प्रावस्था की रसायनिक संदीप्ति

सारणी-III

प्रवर्ग	प्रदूषक	समय के हिसाब से औसत	परिवेशी वायु में संकेन्द्रण	माप की विधि
1	2	3	4	5
III	निलंबित कणिकीय पदार्थ (एस पी एम)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	500 माइक्रो ग्रा./मी ³ 700 माइक्रो ग्राम/मी ³	उच्च प्रबलता प्रतिचयन (औसत बहाव दर 1.1 मी ³ / मिनट से कम नहीं होगा)
के कोयला क्षेत्रों में अवस्थित कोयला खाने	अन्तः प्रवसनीय कणिकीय पदार्थ (10 म्यू/मी से कम आकार के) (आर पी एम)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	250 माइक्रो ग्रा./मी ³ 300 माइक्रो ग्रा./मी ³	अन्तःश्वसनीय कणिकीय पदार्थ प्रतिचयन और विश्लेषण
	सलफर डाईआक्साइड (एस ओ ₂)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	80 माइक्रो ग्रा./मी ³ 120 माइक्रो ग्रा./मी ³	1. उन्नत पश्चिमी और गैड़के विधि 2. पराबैंगनी प्रतिदीप्ति
	नाइट्रोजन आक्साइड (एन ओ ₂)	वार्षिक औसत * 24 घंटे **	80 माइक्रो ग्रा./मी ³ 120 माइक्रो ग्रा./मी ³	1. जैकब और होवीजर उपांतरित (ना-आर्सनिक) विधि 2. गैस प्रावस्था की रसायनिक संदीप्ति

नोट :-

* खंड 2 में अधिकथित प्रतिचयन की आवृत्ति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हुए एक वर्ष में किए गए माप के लिए वार्षिक गणितीय माध्यम

** 24 घंटों के % मूल्य एक वर्ष में समय के 92% के आधार पर निकाला जाएगा। तथापि इसे समय के 8% तक बढ़ाया जा सकेगा किन्तु इसे दो लगातार दिनों तक नहीं बढ़ाया जाएगा।

अप्राधिकृत संरचना मानिटरी के लिए निकटतम आवासीय या वाणिज्यिक स्थान के रूप में नहीं ली जाएगी।

उस दशा में जिसमें कोई आवासीय या वाणिज्यिक या औद्योगिक स्थान किसी धूल उत्पादक स्रोत से 580 मीटर के भीतर आता है, अनुसूची VII के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय परिवेशी वायु क्वालिटी मानक लागू होंगे।

2. प्रतिचयन की आवृत्ति

- खंड 1 में दिए गए धूल उत्पादक स्रोतों पर एक पखवाड़े में एक बार आवृत्ति पर वायु क्वालिटी मानीटरी की जाएगी।
- मासिक मानोटरी के परिणाम स्वरूप यदि यह पाया जाता है कि प्रदूषक का मूल्य तीन लगातार महीनों के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के 50 प्रतिशत से कम है तब प्रति चयन आवृत्ति 3 महीने में दो दिनों के लिए शिफ्ट की जा सकेगी।
- यदि मूल्य विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक हो गया है तो वायु क्वालिटी प्रति चयन एक सप्ताह में दो बार किया जाएगा। यदि चार लगातार सप्ताहों के परिणाम से यह संकेत मिलता है कि प्रदूषकों का संकेंद्रण विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर है तब एक पक्ष की मानिटरी प्रत्यावर्तित की जा सकेगी।

3. बहिःस्राव मानक

सीवर या किसी धारा या भूमि में निकाले जा रहे बहिःस्राव के लिए मानक नीचे दिए जा रहे हैं

पी.एच.	-	5.5 से 9.0
रासायनिक आक्सीजन डिमांड (सीओडी)	-	250 मि.ग्रा./लि.
कुल निलंबित पिंड (टी.एस.एस.)	-	100 मि.ग्रा./लि.
		200 मि.ग्रा.लि. (सिंचाई के लिए भूमि)
तेल और ग्रीस (ओ. एंड जी.)	-	10 मि.ग्रा.लि.

(इन पेरामीटरों की मानीटरिंग आवृत्ति पखवाड़े में एक बार होगी)

वैकल्पिक पेरामीटर :

अनुसूची VI में पर्यावरण प्रदूषकों के निकालने के लिए साधारण मानकों में उपर्युक्त सभी अन्य पेरामीटर खंड 3 में विनिर्दिष्ट बहिःस्राव मानकों के अतिरिक्त होंगे।
(मानीटरिंग आवृत्ति वैकल्पिक पेरामीटरों के लिए एक वर्ष में एक ही बार होगी)

4. शोर स्तर मानक

शोर स्तर	6.00 ए.एम. - 10.00 पी.एम.	10.00 पी.एम. - 6.00 ए.एम.
	लैक 75 डीबी(ए)	लैक 70 डीबी(ए)

(सौर स्तर के लिए मानीटरिंग आवृत्ति पखवाड़े में एक बार होगी)

खान सुरक्षा महानिदेशक (डी जी एम एम) द्वारा विनिर्दिष्ट शोर की व्यावसायिक परित्याग सीमा का कोयला खानों द्वारा पालन किया जाएगा।